



2026:AHC:62844

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 1327/2026

मोहम्मद शोएब

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

...प्रतिपक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: अनिल कुमार श्रीवास्तव, कार्तिकेय श्रीवास्तव

प्रतिपक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. वर्तमान आवेदन, वाद अपराध संख्या 201/2025, धारा 126(2), 140(1), 308(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना – मुंढा पांडे, जनपद – मुरादाबाद में अग्रिम जमानत प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, इस प्रार्थना के साथ कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
2. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

“1. आवेदक की ओर से श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से श्री बी.पी. सिंह, विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान आवेदन थाना मूढापांडे, जनपद मुरादाबाद में पंजीकृत केस अपराध संख्या 201 वर्ष 2025, धारा 126(2), 140(1), 308(5) बी.एन.एस. के तहत अग्रिम जमानत की मांग करते हुए इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक का नाम सह-अभियुक्त राजा चौधरी के इकबालिया बयान में सामने आया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त मुरसलीन को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ही आदेश दिनांक 09.12.2025 (आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 10047 वर्ष 2025) के माध्यम से अग्रिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि एक अन्य सह-अभियुक्त हारिस को भी इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.02.2026 (आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 18 वर्ष 2026) के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माध्यम से अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने कहा कि उन्हें अभी तक प्रकरण में निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, यह निर्देशित किया जाता है कि आवेदक मोहम्मद शोएब को गिरफ्तारी की दशा में अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की जाए, इस शर्त पर कि वह 50,000/- रुपये के निजी मुचलके तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करेगा, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन होंगे, दिनांक 25.03.2026 तक, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) आवेदक साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसे छूट न दी जाए;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या आश्वासन नहीं देगा, जिससे कि उसे/उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके;;

(iii) आवेदक विचारण में सहयोग करेगा तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा;

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा।

6. उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. इस वाद को दिनांक 25.03.2026 को पुनः सूचीबद्ध किया जाए।
8. इस बीच, विद्वान ए.जी.ए. को निर्देशित किया जाता है कि अगली तिथि तक प्रकरण में निर्देश प्राप्त करें।”
3. आज वाद पुकारे जाने पर, विद्वान ए.जी.ए. ने अवगत कराया कि उन्हें प्रकरण में निर्देश प्राप्त हो गए हैं।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने पूर्व में प्रस्तुत तर्कों को पुनः दोहराया।
5. विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत का विरोध किया, किन्तु इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त मुरसलीन एवं हारिस को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है।
6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है।
7. आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है, बल्कि उसका नाम सह-अभियुक्त हसन के इकबालिया बयान में प्रकाश में आया है। आवेदक का मामला सह-अभियुक्त मुरसलीन एवं हारिस के समान है, जिन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास भी अभिलेख पर नहीं है।
8. प्रकरण के तथ्यों एवं जांच के दौरान संकलित सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि पूर्व में पारित अंतरिम आदेश की पुष्टि करते हुए आवेदक **मोहम्मद शोएब** को अग्रिम जमानत प्रदान की जानी उचित है, उन्हीं शर्तों एवं नियमों के अधीन, जो आदेश दिनांक 11.02.2026 में उल्लिखित हैं।
9. अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक: 25 मार्च, 2026

ए. पांडे

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।